JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlp.in

Ref NO! – BRLPS/Proj-HN/1965/21/1367 Date - 13.07.2022

कार्यालय आदेश

स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उत्पादन-सह-उद्यम कोष हेतु दिशा-निर्देश

1. भूमिका : जीविका विगत वर्षो से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से निरंतर एवं सघन व्यव्हार परिवर्तन अभियान चला रही है, जिसके परिणामस्वरुप जीविका सदस्यों में जागृति भी आयी है। इसी क्रम में सदस्य और समूह को उद्यम के रूप में विकसित करने हेतु स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उत्पादन-सह-उद्यम कोष की परिकल्पना की गयी है। इस कोष से सदस्य एवं समूह ऋण (वर्तमान ऋण व्यवस्था के अनुसार) लेकर व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यम शुरू करेंगे। शुरुआत में HNS समबन्धी उद्यमों के लिए ऋण दिया जायेगा और एक वर्ष के उपरांत अन्य विषयगत अंतर्गत अनुमोदित दिशा-निर्देशों के तहत विकसित होने वाले उद्यमों जैसे – SVEP जैसे अन्य उद्यमों के लिए भी ऋण उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता सामग्री-सह-उद्यम कोष से प्राथमिक रुप से व्यक्तिगत उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी, जिसके तहत व्यक्तिगत उद्यमी का सालाना आय एक लाख या इससे अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से किया जायेगा। इस ऋण के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार संकुल स्तर की कमिटी के अनुशंसा के आधार पर संकुल संघ अनुमोदित करेगी तथा इसके अनुश्रवण एवं ऋण वापसी की देखरेख भी करेगी। उद्यमी इस ऋण के सहयोग से वे अपने इच्छानुसार उद्यम विकसित करेंगी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता सामग्रियों की उपलब्धता को सुलभ कराना तथा सदस्य को एक अतिरिक्त आय उपार्जन का साधन भी प्रदान करना है।

2. उत्पादन-सह-उद्यम कोष की राशि एवं संकुल संघ की अर्हता : यह संकुल संघ के लिए अनुदान राशि होगी, जो उद्यम के लिए परिक्रामी निधि (Revolving Fund) के रूप में उपलब्ध रहेगी | इसके अंतर्गत विकसित होने वाले उद्यम के लिए संकुल संघ वर्तमान प्रावधानों के तहत सदस्य और समूह को ऋण प्रदान करेगी। इस कोष के तहत चयनित और इच्छुक संकुल संघ (BTDP प्रखंड के लिए) को **अधिकतम राशि रु. 10,00,000/- (दस लाख) मात्र** परियोजना द्वारा दिया जायेगा। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उद्यम शुरु करने हेतु उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए इच्छुक संकुल संघ की अर्हता निम्नलिखित होगी :-

- लेखांकन पुस्तिकायें अद्यतन हों,
- मासिक ग्रेडिंग प्रणाली के तहत पिछले छः माह में कम से कम 3 बार संकुल संघ को A ग्रेड मिला हो,
- संकुल संघ का ऋण वापसी दर 80 % से अधिक हो
- पूर्व में SHAN फण्ड की राशि नहीं दी गई हो
- उक्त अहर्ता के साथ मॉडल संकुल संघ को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. संकुल संघ को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया : BTDP प्रखंड अंतर्गत उक्त अहर्ता वाले संकुल संघ इस कोष को लेने हेतु सीधे BPIU को आवेदन देंगे और BPIU आवेदन की जाँच करके DPCU को अग्रसारित करेंगा। DPCU स्तर पर आवेदन की जांचोपरांत अनुमोदन दिया जायेगा और राशि रु. 10 लाख सीधे संकुल संघ को हस्तांतरित होगी। BTDP एवं NRLM प्रखंड अंतर्गत जिन संकुल संघ में SHAN फण्ड की राशि पूर्व में प्राप्त हुई है, वैसे संकुल संघ SHAN फण्ड का उपयोग HNS उद्यम

कोष के रूप में करेंगे। अत: SHAN फण्ड प्राप्त संकुल संघ HNS उद्यम कोष लेने हेतु परियोजना को आवेदन नहीं करेंगे। विभागीय कार्यालय आदेश- BRLPS/PROJ/146/09/3256, दिनांक -10.02.2016 और BRLPS/PROJ/146/09/4839, दिनांक – 10.02.2017 द्वारा प्रति ग्राम संगठन राशि रु. 2.5 से 3 लाख मात्र शौचालय निर्माण, पोषण व्यवसाय, एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए इच्छुक परिवारों को ऋण देने के लिए दिया गया था। इसमें से राशि रु. 2.5 लाख वापस संकुल संघ को आना था, जिस संकुल संघ में इस मद की राशि वापस हो गयी है, वैसे संकुल संघ इस राशि का उपयोग पूर्ण तौर पर स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से सम्बंधित उद्यमों को स्थापित करने या इससे जुड़े हुए उद्यमियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए करेगी।

4. विकसित होने वाले HNS उद्यम का स्वरुप : उक्त कोष के सहयोग से व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उद्यम विकसित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है –

- **व्यक्तिगत स्तर :** स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उत्पादन-सह-उद्यम कोष के सहयोग से प्राथमिक तौर पर व्यक्तिगत उद्यमी 6 निर्धारित HNS उद्यम जैसे – ग्रीन ग्रोसरी की दुकान, नुट्री शॉप, अंडा की दुकान, NSIFS (पोषण आधारित समेकित कृषि प्रणाली के उत्पाद) पोषण उत्पाद शॉप, नुट्री स्नैक्स शॉप और अन्य- स्वच्छता सामग्री शॉप इत्यादि विकसित करेगी।

इसके लिए इच्छुक सदस्य को ऋण के रुप में अधिकतम **राशि रु. 1,50,000/- (एक लाख पच्चास हजार) मात्र** दिया जायेगा।

स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उत्पादन-सह-उद्यम कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए सदस्य की अहर्ता निम्नवत अंकित है :

- ❖ न्यूनतम दो वर्षों से समूह से जुड़ी हुई हो
- ❖ सदस्य कभी डिफाल्टर नहीं रहा हो
- ❖ स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण से सम्बंधित व्यवसाय आरम्भ करने के लिए खुद की तैयारी/ पूर्व का अनुभव/ जोखिम लेने को तैयार और इसके साथ व्यवसाय की इच्छा हो
- ❖ सदस्य या परिवार के किसी सदस्य के पास एंड्राइड मोबाइल होना चाहिए

- **सामूहिक स्तर :** स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उत्पादन-सह-उद्यम कोष से स्वयं सहायता समूह सामूहिक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से सम्बंधित उद्यम जैसे - नुट्री स्नैक्स उत्पादन केंद्र इत्यादि विकसित करेगी। इसके लिए इच्छुक स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रुप में **अधिकतम राशि रु. 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र** दी जायेगी। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उत्पादन-सह-उद्यम कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए समूहों की अहर्ता निम्नवत अंकित है :

  - ❖ स्वयं सहायता समूह न्यूनतम 3 वर्ष पुराना हो
  - ❖ समूह NPA की श्रेणी में नहीं हो
  - ❖ ग्रेडिंग प्रणाली के तहत समूह को पिछले 6 माह में कम से कम 3 बार A ग्रेड मिला हो
  - ❖ स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बंधित सामूहिक व्यवसाय के लिए व्यावसायिक कार्ययोजना सामूहिक तौर पर तैयार की गई हो और साथ ही व्यवसाय आरम्भ करने के लिए इच्छुक हो।

- **न्यूट्री कार्ट :** यह एक ऐसी गाड़ी (ठेला, ई-रिक्शा) होगी, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से सम्बंधित उत्पाद जैसे –साग-सब्जी, अंडा, पौष्टिक स्नैक्स, सेनेटरी नैपकिन, मास्क, सेनेटाईज़र, साबुन इत्यादि को विभिन्न ग्रामीण

हाट, बाज़ार में बेचा जायेगा। इस कार्ट के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से सम्बंधित सन्देश भी प्रसारित किये जायेंगे और उत्पादों की विशेषता भी बताई जायेगी। इस कार्य के लिए इच्छुक सदस्य को ऋण के रुप में **लकड़ी / साइकिल का ठेला हेतु अधिकतम राशि रु. 50,000/- (पच्चास हजार) और ई-रिक्शा हेतु अधिकतम राशि रु. 1,50,000/- (एक लाख पच्चास हजार) मात्र** दिया जायेगा। ई – रिक्शा हेतु अनुमोदन करने से पूर्व सम्बंधित संकुल संघ को BPIU की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(किसी भी स्तर पर विकसित होने वाले उद्यम में आवेदको की संख्या अधिक होने पर बैंकिंग व्यवस्था के तहत भी बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत, सामूहिक एवं नुट्री कार्ट में से किसी एक उद्यम के लिए ऋण दिया जायेगा)

नोट - इस श्रेणी के अंतर्गत चयनित उद्यम को लाभप्रद बनाने तक सम्बंधित CC/ AC, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, प्रखंड मेंटर और प्रबंधक- स्वास्थ्य एवं पोषण द्वारा राशि का एक बार परिक्रमण (Rotation) पूरा होने तक सघन निगरानी करेंगे। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे – ऋण की स्वीकृत, ऋण वापसी, ऋण ट्रैकिंग, लेखांकन एवं राशि का परिक्रमण इत्यादि में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। निगरानी इतनी सघन हो कि वर्णित प्रावधानों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता को ससमय पहचाना जा सके और अनियमितता में संलिप्त व्यक्ति की पहचान कर सम्बंधित स्तर पर उचित कार्यवाई की जा सके।

5. आजीविका योजना : उक्त वर्णित उद्यमों को करने के लिए इच्छुक सदस्य एवं समूह को एक आजीविका योजना संलग्न प्रपत्र में तैयार करनी होंगी, जिसमें आजीविका के साथ उद्यमी की निजी, पारिवारिक, सम्बंधित व्यवसाय का अनुभव और योगदान राशि की भी जानकारी समेकित रुप से होगी। सम्बंधित उद्यमी ऋण हेतु आवेदन-पत्र के साथ तैयार आजीविका योजना को अपने समूह, ग्राम संगठन से अनुशंसा करवाते हुये संकुल संघ में जमा करेंगी।

6. संकुल संघ से आजीविका योजना और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया : स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उत्पादन-सह-उद्यम फण्ड से ऋण लेने हेतु इच्छुक सदस्य एवं समूह अपना आजीविका योजना के साथ आवेदन प्रपत्र (जो ऋण लेने के लिए लागू हो) में भर कर अपने ग्राम संगठन में जमा करेंगे। सदस्य उक्त दोनों प्रपत्र को अपने समूह से अनुशंसित करवाकर ग्राम संगठन में जमा करेंगी। आवेदन के अवलोकनोपरांत अगर ग्राम संगठन प्रस्ताव को सही पाती है तो उसे संकुल संघ को अग्रेतर कार्यवाई के लिए अनुशंसित करेगी अन्यथा सुधार हेतु वापस कर देगी। इसके उपरांत सम्बंधित सदस्य आवेदन की कमियों को दूर करते हुए पुनः अपने ग्राम संगठन में दोनों प्रपत्र (आवेदन और आजीविका योजना) को जमा करेंगी। संकुल संघ स्तर पर ऋण के लिए आजीविका योजना और आवेदन पत्र की समीक्षा हेतु एक पांच सदस्यीय समिति गठित होगी, जिसमे संकुल संघ के तीन प्रतिनिधि, परियोजना से दो कर्मी जिसमे सम्बंधित क्षेत्रिय समन्वयक/सामुदायिक समन्वयक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक सदस्य होंगे। समिति के अनुमोदनोंपरांत ही संकुल संघ ऋण की राशि स्वीकृत करेगी और अपने ऋण पुस्तिका में एक अलग मद (HNS उद्यम ऋण) का सृजन करके सम्बंधित ग्राम संगठन को हस्तांतरित करेगी। संकुल संघ की तरह ग्राम संगठन भी अपने ऋण पुस्तिका में उक्त मद का सृजन करके स्वयं सहायता समूह के खाते में ऋण की राशि हस्तांतरित करेगी। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सम्बंधित सदस्य को ऋण की राशि प्राप्त होगी। जब संकुल संघ कुल राशि (10 लाख) का एक बार परिक्रमण (रोटेशन) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लेगी, तब नवीन ऋण के अनुमोदन के लिए समिति के जगह स्वयं संकुल संघ की निदेशक मंडल अपनी बैठक में ऋण की स्वीकृति प्रदान करेंगी।

7. ऋण और ब्याज वापसी की प्रक्रिया : स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के अंतर्गत विकसित होने वाले व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्यमों के लिए संकुल संघ से ऋण लेने वाली सदस्य तथा समूह को 12% वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलेगा। यह राशि उद्यमी द्वारा 18 से 24 माह में वापस करनी होगी। सम्बंधित उद्यमी ऋण वापसी तालिका के अनुसार समय पर ऋण और ब्याज की वापसी अपने समूह में करेंगी। सम्बंधित समूह उस ऋण और ब्याज की राशि को अपने ग्राम संगठन में वापस कर देगी। ग्राम संगठन उक्त ब्याज की राशि में से 50 % अपने पास रखेंगी और शेष ऋण एवं ब्याज की राशि को अपने संकुल संघ को वापस करेंगी। यदि कोई उद्यमी ऋण वापसी तालिका के अनुसार समय पर ऋण और ब्याज की राशि वापस नहीं करती है तो उस स्थिति में संकुल संघ एवं ग्राम संगठन में गठित ऋण वापसी समिति सम्बंधित उद्यमी को सामुदायिक संगठनो के बैठकों तथा गृह-भ्रमण के माध्यम से समय पर ऋण वापसी करवाने का प्रयास करेंगी और आवश्यक निर्णय भी लेंगी।

8. क्षमता निर्माण : HNS – MRP और CNRP द्वारा ग्राम संगठन के बैठक में उक्त ऋण के उदेश्य, महत्त्व, प्रावधान, ऋण की राशि, ब्याज, ऋण वापसी तथा प्रक्रिया के बारे में चर्चा की जायेगी, इसी तरह सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) भी अपने समूह की बैठक में उक्त ऋण के बारे में समूह सदस्यों को जानकारी देंगी। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्यम ऋण अंतर्गत चयनित सदस्य एवं समूह को व्यवसाय के दौरान उनको व्यावसायिक प्रक्रिया, उत्पादों, बेहतर और गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाने की विधि, व्यवहार कुशलता, विपणन, वित्तीय प्रबंधन, लाभ और हानि आंकलन, रिपोर्टिंग और वैधानिक आवश्यकताओं इत्यादि पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली सदस्य एवं समूह से सम्बंधित संकुल संघ के दो पदधारी को भी सम्मिलित किया जायेगा, ताकि उद्यमी को आवश्यकतानुसार संकुल संघ के पदधारी मदद कर सके। प्रतिभागियों (उद्यमी) की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के स्वरुप का प्रावधान किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इस तरह का प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किया जाएगा।

9. ऋण-ट्रैकिंग प्रबंधन और लेखांकन : उद्यमी द्वारा जमा किये गए व्यापार योजना के आधार पर उद्यमी की निजी, पारिवारिक, व्यावसायिक, सम्बंधित व्यवसाय का अनुभव और योगदान राशि इत्यादि विवरण सम्बंधित संकुल संघ एवं BPIU के पास रहेगा। संकुल संघ अपने बैठक और लेखांकन पुस्तिका में एक अलग मद (HNS उद्यम ऋण) का सृजन कर उसका लेखांकन करेगी। संकुल संघ की बैठक पुस्तिका में ऋणी का विवरण, ऋण की राशि, आजीविका का विवरण, ब्याज और मूलधन वापसी की राशि, किश्तों की संख्या तथा समय-सीमा इत्यादि अंकित किया जायेगा। मूलधन और ब्याज वापसी तालिका के अनुसार ही ऋणी एवं समूह उक्त राशि की वापसी अपने सामुदायिक संगठनों के माध्यम से संकुल संघ को नियमित रुप से करेगी। नियमित रुप से मूलधन तथा ब्याज वापसी नहीं होने की स्थिति में सम्बंधित संकुल संघ अपने उपविधि के अनुसार उद्यमी पर न्याय संगत कार्यवाई करेगी। साथ ही संकुल संघ सभी उद्यमी का लेनदारी और देनदारी की जानकारी रखेगी और अपने मासिक प्रतिवेदन में भी उल्लेखित करेगी।

उक्त ऋण का लेखांकन ऋणदाता और ऋणी दोनों के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा –

- ऋणदाता – फण्ड फ्लो के अनुसार उद्यमी ऋण के आंकड़ों का लेखांकन सम्बंधित संकुल संघ एवं ग्राम संगठन के रोकड़ बही, खाता बही एवं ऋण पुस्तिका में किया जायेगा। यह कार्य सम्बंधित बुक कीपर के द्वारा किया जायेगा और इसके लिए संकुल संघ और ग्राम संगठन की पुस्तिकाओं में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उद्यम ऋण मद अंकित होगा। साथ ही संकुल संघ अपने बैठक पुस्तिका में भी ऋण स्वीकृति की तिथि, ऋण की राशि, मूलधन और ब्याज वापसी योजना, किश्तों की संख्या तथा ऋणी का विवरण इत्यादि की सूचनायें भी उल्लेखित करेगी।

- ❖ ऋणी – प्रत्येक उद्यमी अपने उद्यम / व्यवसाय से सम्बंधित खर्च एवं प्राप्ति का लेखा-जोखा अपने पास रखेंगी ताकि उद्यमी अपने व्यवसाय के लाभ-हानि का पता लगा सके। ऋणी के पासबुक में भी ऋण की जानकारी अद्यतन की जायेगी साथ ही जमा किये गए मूलधन और ब्याज वापसी की भी जानकारी अपने पास रख सकेंगे।

इसके लिए प्रबंधक- स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, प्रखंड मेंटर, क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक और HNS नोडल को लेखांकन की प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि सामुदायिक संस्थानों (संकुल संघ, ग्राम संगठन और समूह) और उद्यमी इनके देख-रेख में सही लेखांकन कर सके।

10. सूचना प्रबंधन प्रणाली : स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के तहत विकसित व्यक्तिगत उद्यमों से सम्बंधित सूचनाओं जैसे – प्रतिदिन आय-व्यय, मासिक मूलधन और ब्याज वापसी, नवाचार गतिविधियों तथा अन्य गतिविधियों को सम्बंधित उद्यमी (व्यक्तिगत एवं सामूहिक) मोबाइल आधारित एप्प के माध्यम से अद्यतन करेगी। इस प्रतिवेदन के आधार पर संकुल संघ, BPIU एवं DPCU कर्मी आवश्यक सहयोग उद्यमियों को प्रदान करेंगे। जब तक एप्प सफलतापूर्वक संचालित नहीं होगा, तब तक मासिक भौतिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा।

11. समीक्षा बैठक और सहयोग प्रणाली : संकुल संघ और ग्राम संगठन अपने मासिक बैठक में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के तहत विकसित उद्यमियों की व्यवसाय विकास, मूलधन एवं ब्याज वापसी, विपणन इत्यादि की समीक्षा करेगी। व्यवसाय विकास हेतु संकुल संघ एवं BPIU भी सम्बंधित उद्यमियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी ताकि व्यवसाय अच्छे से संचालित हो सके, साथ ही व्यवसाय के पैमाने को भी बढाया जा सके।

इस कोष के माध्यम से अधिकतम व्यक्तिगत उद्यमियों के सालान आय को एक लाख से अधिक करने के लिए समुचित प्रयास करेंगे।

अनुलग्नक : व्यक्तिगत एवं सामूहिक आजीविका योजना प्रपत्र
व्यवसाय का वार्षिक आय-व्यय विवरणी प्रपत्र
संकुल संघ की प्रतिवेदन प्रपत्र

विश्वास भाजन

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

ज्ञापांक : BRLPS/Proj-HN/1965/21/1367 दिनांक : 13-07-2022

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रबंधक-स्वास्थ्य एवं पोषण/प्रबंधक – वित्त को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारियो को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/22

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

व्यक्तिगत उद्यमी का आजीविका योजना प्रपत्र

प्रखंड : ....., जिला : .....

अनुमोदन करने वाले संकुल संघ का नाम :.....

ग्राम संगठन का नाम : ....., समूह का नाम : .....

गाँव का नाम : ....., पंचायत का नाम : .....

पारिवारिक विवरणी :

उद्यमी का नाम : ....., पिता / पति का नाम : .....

उद्यमी का लिंग : ....., उद्यमी की श्रेणी : (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/SC/ST)

उद्यमी का प्रकार : (जीविका दीदी / कैडर)

संपति का विवरण :

अचल संपति : (मकान और खेती योग्य जमीन/केवल मकान/पशुपालन/दुकान).....

चल संपति : {बचत पूँजी (समूह और बैंक)} .....

किसी भी स्रोत से ऋण : (समूह/MFI/बैंक या महाजन) यदि हाँ तो राशि (रु. में).....

आजीविका की पृष्ठभूमि :

उद्यमी का आजीविका के मुख्य साधन : 1. कृषि / मजदूरी / व्यापार (दुकान) / पशुपालन, इसका विवरण लिखें .....

.....

2. अन्य कोई (लिखें) .....

उद्यमी का आजीविका के अन्य साधन : लिखें .....

.....

आजीविका योजना :

उद्यमी जो आजीविका करना चाहता है : 1. दुकान / व्यापार (सब्जी, फल, अंडा, मांस, मछली इत्यादि) / रुरल सेनेटरी मार्ट
पौष्टिक लड्डू निर्माण एवं विपणन / सहजन पत्ति चूर्ण का निर्माण एवं विपणन /
पशुपालन (बकरी / मुर्गी पालन / गव्य)

2. अन्य व्यवसाय (लिखें) .....

3. राशि की मांग (कितनी राशि).....

उद्यमी अंशदान :

आजीविका में उद्यमी का अंशदान : (कितनी राशि रु. में / कमरा है जहाँ दुकान खोलेंगे).....

आजीविका योजना संकुल संघ से अनुमोदित होने के उपरांत सम्बंधित उद्यमी को अपना बैंक विवरणी संकुल संघ को भेजना होगा ताकि ऋण ससमय उद्यमी को हस्तांतरित किया जा सके।

उद्यमी का नाम एवं हस्ताक्षर

अध्यक्ष / सचिव का नाम एवं हस्ताक्षर

सामूहिक उद्यमी का आजीविका योजना प्रपत्र

प्रखंड : ...., जिला : ....

अनुमोदन करने वाले संकुल संघ का नाम :...............................

ग्राम संगठन का नाम : ...., समूह का नाम :...............................
गाँव का नाम : .... पंचायत का नाम : ....

पारिवारिक विवरणी :

उद्यमी का नाम	**पिता / पति का नाम**	**उद्यमी का श्रेणी** (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/SC/ST)	**अचल संपति :** (मकान और खेती योग्य जमीन/केवल मकान/पशुपालन/दुकान)	**चल संपति :** (बचत पूँजी (समूह और बैंक))	**किसी भी स्रोत से ऋण :** (समूह/MFI/बैंक या महाजन) यदि हाँ तो राशि (रु. में)

आजीविका की पृष्ठभूमि :

उद्यमी का नाम	**उद्यमी का आजीविका के मुख्य साधन :** कृषि / मजदूरी / व्यापार (दुकान) / पशुपालन, इसका विवरण लिखें	**उद्यमी का आजीविका के अन्य साधन :** (लिखें)	**अन्य कोई** (लिखें)	**अभियुक्ति**

आजीविका योजना :

उद्यमी का नाम	**उद्यमी जो आजीविका करना चाहते है :** दुकान / व्यापार (सब्जी, फल, अंडा, मांस, मछली इत्यादि) / रुरल सेनेटरी मार्ट / पौष्टिक लड्डू निर्माण एवं विपणन / सहजन पत्ति चूर्ण का निर्माण एवं विपणन / पशुपालन (बकरी / मुर्गी पालन / गव्य)	**अन्य व्यवसाय** (लिखें)	**उद्यमी के अंशदान राशि**

उद्यमियों का नाम एवं हस्ताक्षर **अध्यक्ष / सचिव का नाम एवं हस्ताक्षर**

व्यावसाय का वार्षिक आय-व्यय विवरणी प्रपत्र

उद्यमी / उद्यमी समूह का नाम : ....., व्यवसाय का नाम : .....

उद्यमी / उद्यमी समूह का पूरा पता : .....

मोबाइल संख्या :.....

क्रं.सं.	माह का नाम	अनुमानित मासिक व्यय (रु. में)				अनुमानित मासिक आय (रु. में)			लाभ / हानि (रु. में)
		कच्चे माल पर खर्च	किराया पर खर्च	अन्य खर्च (ऋण अदायगी, मूल्यह्रास इत्यादि)	कुल खर्च	सामान बेचने से प्राप्त आय	अन्य स्रोत से आय (ब्याज/कोई अन्य)	कुल आय	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
कुल									

उद्यमी / उद्यमी समूह का हस्ताक्षर

नोट : वर्णित प्रपत्र में व्यावसायिक आय-व्यय विवरणी सम्बंधित उद्यमी / उद्यमी समूह द्वारा भरा जायेगा और इसको व्यावसाय योजना के साथ सम्बंधित संकुल संघ में जमा करना होगा। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही व्यवसाय के लिए भरा जायेगा।

संकुल संघ की मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र

संकुल संघ का नाम ..... पंचायत का नाम .....

प्रखंड का नाम ..... जिला का नाम .....

क्रं.सं.	सदस्य एवं समूह का नाम (केवल उद्यमी का)	समूह एवं ग्राम संगठन का नाम	व्यवसाय का स्वरुप (व्यक्तिगत, सामूहिक एवं नुट्री कार्ट)	व्यवसाय का नाम	ऋण की राशि (रु. में)	नियमित ऋण वापसी (हाँ या नहीं)	अभियुक्ति

1. कुल उद्यमियों की संख्या –
2. लाभदायक स्थिति प्राप्त उद्यमियों की संख्या –
3. नियमित ऋण वापसी करने वाले उद्यमियों की संख्या –
4. डिफाल्टर (लगातार तीन माह से अधिक समय तक मूलधन अथवा ब्याज की राशि वापस नहीं किया हो) उद्यमियों की संख्या –

अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर
(संकुल संघ)

सामुदायिक/क्षेत्रीय समन्वयक का हस्ताक्षर